संख्या-108/2023/284/22-2-2023-17(204)/2023

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 29 मार्च, 2023*

विषय:- जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी नवीन चतुर्बेदी पुत्र श्री अरबिन्द चौबे, निवासी जनपद-बलिया की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4913/प्रोबे-5/दया0/जि0का0गोरखपुर-3276 दिनांक-14-02-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी नवीन चतुर्बेदी पुत्र श्री अरबिन्द चौबे, जो जापलिनगंज, थाना-कोतवाली, जनपद-बलिया का रहने वाला है। बंदी द्वारा पी0डब्ल्यू0डी0 मे ठेकेदारी को लेकर हुए विवाद के कारण दिनांक 03-07-2004 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राइफल व पिस्टल से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-459/2004 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, व 7 सी0एल0ए0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-02, बलिया के आदेश दिनांक 27.11.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित है। बंदी द्वारा दिनांक 07.02.2023 तक 17 वर्ष, 03 माह, 25 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष, 11 माह, 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बलिया द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति ने बंदी की उम्र 48 वर्ष होने, बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति (04 हत्या) तथा जिला मजिस्ट्रेट, बलिया द्वारा संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बंदी नवीन चतुर्बेदी (बन्दी संख्या-237/2014) पुत्र श्री अरबिन्द चौबे, निवासी जनपद-बलिया की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपर्युक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-108/2023/284/22-2-2023 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, बलिया।
2-वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, गोरखपुर।
3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।